

# न्यूज़ टुडे

## लोकसभा ने महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 (Lok Sabha passes the Major Port Authorities Bill, 2020) पारित किया

○ इस विधेयक में प्रमुख बंदरगाहों (महापत्तनों) के नियमन, संचालन और नियोजन के लिए प्रावधान शामिल किए गये हैं। साथ ही, यह विधेयक इन बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास भी करता है। यह विधेयक अधिनियम बनने के उपरान्त महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को प्रतिस्थापित करेगा।

➢ विधेयक का उद्देश्य विकेंद्रीकृत निर्णयन और महापत्तनों के अभिशासन में व्यावसायिकता (professionalism) को बढ़ावा देना है।

○ विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ:

➢ प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड (Board of Major Port Authority-BPA) का गठन किया जाएगा, जिसमें ऐसे बंदरगाहों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन की शक्तियां निहित होंगी। यह बोर्ड मौजूदा बोर्ड ऑफ़ पोर्ट ट्रस्ट को प्रतिस्थापित करेगा।

➢ महापत्तनों के लिए शुल्क प्राधिकरण (Tariff Authority) की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया गया है। BPA को प्रशुल्क निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के उद्देश्यों हेतु एक संदर्भ (मानक) प्रशुल्क (reference tariff) होगा।

➢ विधेयक का प्रयोजन प्रमुख बंदरगाहों में सुशासन मॉडल (governance model) को वैधिक अस्यास के अनुरूप भू-स्वामी बंदरगाह मॉडल (landlord port model) के रूप में पुनः प्रस्तुत करना है।

❖ लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल में, बंदरगाह का स्वामित्व बंदरगाह प्राधिकरण के पास रहता है। अवसंरचना को निजी फर्मों को पट्टे (lease) पर दिया जाता है, जो कारों के प्रबंधन के लिए अपने स्वयं की अधिरचना प्रदान करते हैं और अपने स्वयं के उपकरण स्थापित करते हैं। इसके विपरीत लैंडलॉर्ड पोर्ट को निजी संस्था से राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त होता है।

## विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वितरण कंपनियों (discoms) के निजीकरण के लिए मानक बोली दस्तावेज़ (Standard Bidding Document-SBD) जारी किया

○ हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत केंद्र द्वारा घोषणा की गई थी कि विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के संचालन और वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए सभी संघ शासित प्रदेशों में उनका निजीकरण किया जाएगा।

➢ विद्युत क्षेत्र एक संघीय संरचना का अनुसरण करता है, जिसमें वितरण राज्य सूची का एक विषय है और केंद्र की भूमिका एक मार्गदर्शक की है। हालांकि, उत्पादन और पारेषण केंद्र सरकार के अधीन आते हैं।

➢ वर्तमान में, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, आगरा जैसे कुछ ही शहरों में डिस्कॉम का निजीकरण किया गया है।

○ मानक बोली दस्तावेज़ उन राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज़ होगा, जो अपने डिस्कॉम का निजीकरण करने के इच्छुक हैं।

○ डिस्कॉम के निजीकरण की आवश्यकता:

➢ वितरण फर्मों द्वारा अत्यधिक बकाया राशि (जून 2020 में 1.33 लाख करोड़ रुपए) का भुगतान किया जाना है।

➢ व्यापक तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (AT&C) के कारण परिचालन अक्षमताएँ, जो मुख्य रूप से बिजली की चोरी, निम्न स्तरीय भुगतान संग्रह प्रक्रियाओं आदि के कारण होती हैं।

➢ उदय (उज्जवल डिस्कॉम एस्युरेंस योजना—UDAY) जैसी शुरुआती पहलों में कम प्रगति।

○ निजीकरण तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (दिल्ली में 52% से 8% तक कम हुई है) को अल्प करने, परिचालन दक्षता में व्याप्त दोषों (जैसे भुगतान में देरी व बिजली कटौती) का निराकरण करने, उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सेवाओं की आपूर्ति करने आदि में सहायता प्राप्त होगी।

## भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुसार भारत की संचित निधि (CFI) में संगत आरक्षित निधियों की बजाय 40% उपकर प्राप्तियाँ जमा की गई हैं

○ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने उपकर और अन्य उद्यग्नीत करों के लेखा परीक्षण के संबंध में, केंद्र द्वारा पारदर्शिता और प्रकटीकरण के अभाव की ओर संकेत किया है।

○ वित्त वर्ष—2019–20 में केंद्र ने 35 उपकर/लेखी से 2.75 लाख करोड़ रुपये एकत्र किए थे। हालांकि, आगतों का केवल 60% हिस्सा ही संगत आरक्षित निधि में हस्तांतरित किया गया था।


○ “उपकर” सरकार द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त कर है जिसे भारत की संचित निधि (CFI) के तहत केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है। तत्पश्चात एकत्रित निधि को मिन्न-मिन्न मंत्रालयों के संबंधित कोष में जमा कर दिया जाता है, जिसका संबद्ध मंत्रालयों द्वारा अपने निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जाता है।

○ आरक्षित निधियों के गैर-निर्माण/गैर-संचालन से यह सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि संसद द्वारा उपकर (cess) का उपयोग निर्धारित विशेष उद्देश्यों के लिए किया गया है अथवा नहीं।

○ अनुच्छेद 270 केंद्र को उपकर उद्यग्नीत की अनुमति प्रदान करता है, जिसे केंद्र को राज्य सरकारों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है।

○ हाल के वर्षों में, दरों में बढ़ोतारी और नए करों के कारण केंद्र की उपकर प्राप्तियों में वृद्धि हुई है।

○ इसने 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार करों के विभाज्य पूल से राज्यों को अधिक हस्तांतरण (32% से 42% तक) करने से उत्पन्न असंगति से निपटने में सहायता प्रदान की है।



ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय एवं गैर-जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है

○ भारत के कुल विद्युत उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा वित्त वर्ष 2019–2020 के 24.9% की तुलना में वित्त वर्ष—2020–21 के प्रथम 5 महीनों में 30% तक बढ़ गया है (वार्ट भी देखें)

➢ तीन राज्य यथा कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात संयुक्त रूप से 88,793 मेगावाट की (देश की लगभग 46% ऊर्जा क्षमता) संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले राज्य हैं।

○ हिस्सेदारी में वृद्धि के कारण:

➢ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है।

➢ नवीकरणीय ऊर्जा की लागत में विगत कुछ वर्षों में क्रमिक गिरावट दृष्टिगोचर हुई है।

➢ स्वच्छ ऊर्जा खंड से ऊर्जा क्रय करने पर “मस्ट रन स्टेट्स” (must run status) प्राप्त होना।

❖ यह स्टेट्स अथवा दर्जा यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार के व्यावसायिक कारणों से इन संयुक्त से विद्युत की कटौती नहीं होती। इसने लॉकडाउन के दौरान खपत में गिरावट के बावजूद इन विद्युत खोतों द्वारा अधिक उत्पादन को जारी रखने में सहायता की थी।

➢ तापविद्युत परियोजनाओं को वित्तीय तनाव और विद्युत खरीद समझौते (power purchase agreements) में कमी के कारण अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है।

➢ प्रधानमंत्री-कुसुम योजना (PM-KUSUM), ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर (RTS) प्रोग्राम, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, राष्ट्रीय पवन—सौर हाइब्रिड नीति आदि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन प्रदान करने वाली पहलें हैं।

### Greener by the year

	Total thermal/fossil power generation	Total non-fossil power generation
FY16	9,43,788 (80.4%)	2,29,815 (19.6%)
FY17	9,94,230 (80.1%)	2,47,459 (19.9%)
FY18	10,37,059 (79.3%)	2,71,087 (20.7%)
FY19	10,72,224 (77.9%)	3,03,872 (22.1%)
FY20	10,42,748 (75.1%)	3,46,373 (24.9%)
FY21*	3,87,177 (69.7%)	1,68,149 (30.3%)

\*up to August Source: Submission in Lok Sabha

### CAG द्वारा प्रस्तुत अन्य रिपोर्ट

○ शिक्षा मंत्रालय के स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) द्वारा विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण पर CAG की रिपोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दों को रेखांकित किया है:

➢ 72% निर्मित शौचालयों के भीतर जल की पर्याप्त सुविधा नहीं ही।

➢ 27% विद्यालयों में केवल एक कार्यशील शौचालय था, जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि सभी विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक—पृथक शौचालय होने चाहिए।

# राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग विधेयक, 2020 (National Commission for Allied and Health-care Professions Bill, 2020) राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया

○ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में संबद्ध और स्वास्थ्य पेशेवरों की शिक्षा एवं सेवाओं को विनियमित तथा मानकीकृत करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया था।

➤ संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं में मानक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण तंत्र तथा भारतीय चिकित्सा परिषद के समान एक व्यापक नियामक संस्था का अभाव है।

## ○ प्रमुख विशेषताएं:

➤ यह विधेयक "संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर" (AHP) को निदान और उपचार में सहयोग करने वाले एक प्रशिक्षित सहयोगी, तकनीकी कर्मी या प्रौद्योगिकीविद के रूप में परिभाषित करता है।

➤ स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर में एक वैज्ञानिक, चिकित्सक या उपचारात्मक, निवारक और स्वास्थ्य लाभ जैसी स्वास्थ्य सेवाओं के आपूर्तिकर्ता शामिल होते हैं।

➤ यह संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करता है, जिसके निम्नलिखित कार्य हैं:

❖ शिक्षा और सेवाओं को विनियमित करने के लिए नीतियों का निर्माण करना।


❖ सभी पंजीकृत पेशेवरों का एक केंद्रीय रजिस्टर बनाना आदि।

➤ आयोग द्वारा संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों की प्रत्येक श्रेणी के लिए व्यावसायिक परिषदों का गठन किया जाएगा। आयोग द्वारा ही इन परिषदों को कार्य भार प्रदान किया जाएगा।

➤ व्यावसायिक आवरण को लागू करने और राज्य रजिस्टरों को बनाए रखने के लिए विधेयक पारित होने के छह माह के भीतर राज्य सरकारों द्वारा राज्य परिषदों का गठन किया जाएगा।

➤ नए संस्थान की स्थापना या नए पाठ्यक्रम लागू करने के लिए राज्य परिषद की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

➤ केवल राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों को ही चिकित्सीय सेवा (प्रैक्टिस) करने की अनुमति होगी।



## अन्य सुर्खियाँ

<b>महिला विश्वविद्यालयों में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान कार्यों का समेकन—क्यूरी (Consolidation of University Research for Innovation &amp; Excellence in Women Universities-CURIE)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DS&amp;T) की एक विशेष पहल है, जो अनुसंधान और विकास अवसंरचना में सुधार करने तथा अनुसंधान संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु देश में 8 महिला विश्वविद्यालयों की सहायता करने पर केंद्रित है।</li> <li>○ इसके परिणामस्वरूप क्यूरी समर्थित विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी में छात्रों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसने नेट/गेट (NET/GATE) परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी की है।</li> <li>○ वर्ष 2019 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संबद्ध नवाचारों को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ 6 क्यूरी लाभार्थी विश्वविद्यालयों में एक AI प्रयोगशाला की स्थापना की थी।</li> </ul>
<b>प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान (PM YUVA- PM Yuva Udyamita Vikas Abhiyan)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ यह 14 लाख से अधिक युवाओं को उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण, समर्थन तथा उद्यमिता सहायता नेटवर्क तक सुगम पहुँच सुनिश्चित करने हेतु कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की एक प्रमुख योजना है। <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ यह अभियान उन छात्रों/प्रशिक्षितों और पूर्व छात्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जन शिक्षण संस्थान आदि जैसे संस्थानों से कौशल आधारित शिक्षा प्राप्त की हुई है।</li> </ul> </li> <li>○ यह उद्यमितों को विचारों, मार्गदर्शकों और वित्त पोषण के नेटवर्क से जोड़ने में सहायता करता है तथा साथ ही, सरकारी उद्यमिता योजनाओं व सामाजिक उद्यमिता में समन्वय एवं सहयोग भी स्थापित करता है।</li> </ul>
<b>राज्य आपदा राहत कोष (State Disaster Relief Fund-SDRF)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य, कोविड-19 से राहत के लिए SDRF से 50% धन का व्यय कर सकते हैं, इससे पूर्व यह सीमा 35% थी।</li> <li>○ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित राज्य आपदा राहत कोष का उपयोग किसी भी अधिसूचित आपदा के दौरान पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए होने वाले व्यय की आपूर्ति हेतु किया जा सकता है। <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ जातव्य है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने SDRF के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कोविड-19 को "अधिसूचित आपदा" के रूप में समाविष्ट करने का निर्णय लिया था।</li> </ul> </li> </ul>
<b>कृतज्ञ (KRITAGYA) हैकार्थॉन</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ यह महिलाओं के अनुकूल साधनों पर विशेष बल देने के साथ-साथ कृषि के मशीनीकरण में वृद्धि के लिए संभावित प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने हेतु निर्मित की गई एक योजना है।</li> <li>○ यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (NAHEP) के तहत निर्मित की गई है। <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ NAHEP कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भागीदार कृषि विश्वविद्यालयों और ICAR का समर्थन करता है।</li> </ul> </li> </ul>
<b>ब्रूसिलोसिस (Brucellosis)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने ब्रूसिलोसिस के लिए प्रति टीका "ब्रुसेला एबोर्टस S19Δ" (Brucella abortus S19Δ) विकसित किया है।</li> <li>○ ब्रूसिलोसिस एक जीवाणुजनित रोग है, जो मुख्य रूप से मवेशियों, सूअर, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों को संक्रमित करता है।</li> <li>○ ब्रूसिलोसिस, विश्व भर में सर्वाधिक गंभीर पशुजनित (zoonotic) रोगों में से एक है और भारत में भी इस स्थानिक महामारी से डेयरी उद्योग को अत्यधिक आर्थिक क्षति होती है।</li> <li>○ ब्रूसिलोसिस से संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने या दूषित पशु उत्पादों (मांस, दूध आदि) के उपभोग से मानव पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ मानव से मानव में इस रोग का संचरण दुरुलभ है।</li> </ul> </li> </ul>
<b>लोकसभा ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 पारित किया (Lok Sabha passed the Jammu and Kashmir Official Languages Bill, 2020)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ विधेयक में कशीरी, डोगरी तथा हिंदी को नवनिर्मित जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने का उपबंध किया गया। <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ इससे पूर्व राज्य में केवल अंग्रेजी और उर्दू ही आधिकारिक भाषाएं थीं।</li> </ul> </li> <li>○ संविधान का भाग XVII (अनुच्छेद 343 से 351) आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।</li> </ul>

8468022022, 9019066066  
www.visionias.in



/c/VisionIASdelhi



/Vision\_IAS



/visionias\_upsc



/VisionIAS\_UPSC